

(5)

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बीरमाना
2. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. राजुराम पुत्र केसराराम जाति कुम्हार निवासी 7 एमसी ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़

किस्म मुकदमा- निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

प्रकरण संख्या- 142/2018

जीसीएमएस प्र0स0- 2018/00087

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता दोनो ही हाजिर नही आये। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

